2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,48,37,227 (रुपये छह करोड़ अड़तालीस लाख सैंतीस हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 6003001090300 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर.ई.सी. से प्राप्त ऋण का प्रतिदान मानक मद 30 निवेश/ऋण (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-99-X-2025-26-दिनांक:2-2-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

संख्या- 11/2026/001-48(1)-24-1-2026-2249-2010, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स-7- लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

3- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001

4- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।